(37) न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 904-दो/2006 - विरूद्ध आदेश दिनांक 25.4.2006 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 395/1996-97 अपील

1- राजदुलारी पत्नि स्व. सदासुख

2- धीरेन्द्र 3- शीतल 4- तरूणेन्द्र

5- राकेश पुत्रगण स्व.सदासुख

सभी ग्राम गाढा तहसील त्योंथर जिला रीवा ---आवेदकगण

विरूद्ध

रामलखन पुत्र रामप्रताप

ग्राम गाढ़ा तहसील त्योंथर जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

(आवेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 4-10-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 395/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-4-06 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय सदासुख ने अपने जीवनकाल में तहसीलदार त्योंथर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता , 1959 की धारा

178 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत कर सामिलाती भूमियों के विभाजन की मांग की। तहसीलदार त्योंथर ने प्रकरण कमांक 60 अ-27/ 1995-96 एंव 61 अ-27/1995-96 पॅजीबद्व किये तथा पक्षकारों को सुनकर दोनों प्रकरणों में संयुक्त आदेश दिनांक 26-9-96 पारित किया तथा संयुक्त खाते पर धारित भूमियों का विभाजन कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण कमांक 47/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-6-97 से अपील निरस्त करते हुये तहसीलदार त्योंथर के आदेश दिनांक 26-9-96 को यथावत् रखा। अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 395/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-4-06 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि स्वर्गीय सदासुख ने अपने जीवनकाल में तहसीलदार त्योंथर के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 178 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत सामिलाती भूमियों के विभाजन की मांग की है जिस पर से तहसीलदार त्योंथर ने प्रकरण कमांक 60 अ-27/ 1995-96 एंव 61 अ-27/1995-96 पॅजीबद्व किये है तथा सभी पक्षकारों को सुनकर दोनों प्रकरणों में सॅयुक्त आदेश दिनांक 26-9-96 पारित करके संयुक्त खाते पर धारित भूमियों का विभाजन किया है। इस आदेश के विरूद्व सदासुख की मुख्त्यारआम महिला राजदुलारी (पत्नि) ने अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर के समक्ष अपील प्रस्तुत करके भूमि सर्वे नंबर 698 एंव 695 के सम्बन्ध में अपील की गई थी एंव तहसीलदार के शेष

बटवारा आदेश को सही होना बताया था। अपील में मांग यह थी कि सदासुख ने जो भूमि विक्रय की है उसकी जांच कर ली जावे एंव विक्रय बैधानिक पाये जाने पर रकवा कम किया जाय। अनुविभागीय अधिकारी ने इस आपत्ति को इसलिये नहीं माना है क्योंकि वर्ष 1984 में बटवारा प्रकरण कायम होने के वाद तीन वार प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रत्यावर्तित हुआ है एंव तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 15-4-1991 में आदेश दिये है कि विक्रय की गई भूमि के संबंध में जांच करने के उपरांत बटवारा कार्यवाही की जाय एंव तहसीलदार ने प्रत्यावर्तन आदेश के अनुरूप जांच कार्यवाही करके एंव पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर आदेश दिनांक 26-9-96 पारित किया है, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर ने प्रकरण क्रमांक 47/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 9-6-97 में एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 395/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-4-06 में तहसीलदार के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। तहसीलदार त्योंथर व्दारा पारित आदेश दिनांक 26-9-96 में , अनुविभागीय अधिकारी त्योंथर व्दारा पारित आदेश दिनांक 9-6-97 में एंव अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 25-4-06 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 395/1996-97 अपील में पारित आदेश दिनांक 25-4-06 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर